प्रेषक:

निदेशक (उच्च शिक्षा),उ0प्र0,
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग
प्रयागराज।

सेवा में,

1– कुलसचिव
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

3–समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
राजकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: डिग्री विकास / 461–63 / 2020–21 दिनांक : 14 जुलाई 2020

विषय:–आगामी शैक्षणिक सत्र 2020–21 को प्रारंभ किया जाना एवं अध्ययन–अध्यापन की गतिविधियों तथा शैक्षणिक कैलेण्डर के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संलग्न शासन के पत्र सं0–1028/सत्तर–1–2020 उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 11 जुलाई 2020 का संज्ञान लें, जो आगामी शैक्षणिक सत्र 2020–21 को प्रारंभ किया जाना एवं अध्ययन–अध्यापन की गतिविधियों तथा शैक्षणिक कैलेण्डर के निर्धारण के संबंध में है। उक्त के संबंध में निर्दिष्ट किया जाता है कि शासन के दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक:–शासन का पत्र।

भवदीय

डॉ0 (हिरेन्द्र प्रताप सिंह)
संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)
कृते–शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),उ0 प्र0,
प्रयागराज।

Scanned by CamScanner

संख्या–1028/सत्तर–1–2020–

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक 11 जुलाई, 2020

विषयः– आगामी शैक्षणिक सत्र 2020–21 को प्रारंभ किया जाना एवं अध्ययन–अध्यापन की गतिविधियों तथा शैक्षणिक कैलेण्डर का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.06.2020 के माध्यम से अनलॉक 2.0 अवधि के सम्बन्ध में सभी कालेज एवं शैक्षिक संस्थान दिनांक 31.07.2020 तक बन्द रहने तथा फैकल्टी मेम्बर/शिक्षक/शोधकर्ता/शिक्षणेत्तर कर्मचारी को वर्क फॉम होम के माध्यम से ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा की स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे प्रोत्साहित करने का उल्लेख किया गया है। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं एवं शैक्षणिक कैलेण्डर के निर्धारण के सम्दन्ध में यू0जी0सी0 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश दिनांक 29 अप्रैल, 2020, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं 08 जुलाई, 2020 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– कोविड–19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत घोषित लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में गृह (गोपन) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–292/2020–सीएक्स–3 दिनांक 21–4–2020 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसे उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–927/सत्तर–3–2020–9(23)/2020 टी0सी0 दिनांक 24 अप्रैल, 2020 द्वारा अनुपालनार्थ प्रेषित किया गया है।

3– उक्त दिशा–निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 2020 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालयों के आगामी शैक्षणिक सत्र 2020–21 को प्रारंभ किये जाने एवं अध्ययन–अध्यापन की गतिविधियों तथा शैक्षणिक कैलेण्डर का निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्देश निर्गत किये जाते हैं :–

(1) ई–कन्टेंट की तैयारी : –

- विभागाध्यक्ष/डीन/कुलपतिगण दिनांक 13.07.2020 से विश्वविद्यालय परिसरों में आकर ई–कन्टेन्ट तैयार कराते हुए अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। वर्क फ्राम होम

Scanned by CamScanner

को प्रोत्साहित किया जाये। कुलपति/डीन/विभागाध्यक्ष द्वारा निरन्तर उक्त कार्य की समीक्षा की जायेगी ताकि दिनांक 31.07.2020 तक सभी संकायों एवं विषयों के ई–कन्टेन्ट पूरी तरह चिह्नित/तैयार कर लिया जाय। आवश्यकतानुसार कुलपति/डीन/विभागाध्यक्ष द्वारा शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय परिसर में बुलाया जा सकता है और ई–कन्टेन्ट की तैयारी में मार्गदर्शन करते हुए ई–लेक्चर रिकार्ड कराये जाने, प्रवेश की प्रकिया संचालित किये जाने, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने आदि कार्यों को सम्पादित कराया जा सकता है। रूसा के सहयोग से अनेक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम बनाये गये है। जिनका भरपूर उपयोग इस कार्य हेतु किया जायेगा।

- उक्तानुरूप तैयार किये गए ई–कंटेंट/वीडियो–लेक्चर को प्रत्येक विश्वविद्यालय ओपन–एक्सेस लिंक के साथ पाठ्यक्रमवार अपने वेब–पोर्टल पर उपलब्ध करायें, जिसे सहयुक्त महाविद्यालय के छात्रों के साथ–साथ अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र भी डाउनलोड कर लाभ प्राप्त कर सकें।
- आवश्यकतानुसार कुलपति/कुलसचिव शिक्षणेतर कार्मिकों से इस अवधि में परिसर के अन्य प्रशासनिक कार्य, सैनिटाइजेशन आदि से सम्बन्धित कार्यों का निस्तारण करायेंगे।
- इन कार्यों में जब भी फैकल्टी एवं अन्य स्टाफ को बुलाया जाय तो सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेन्सिंग तथा मास्क आदि का अवश्य प्रयोग किया जाय।
- 13 जुलाई से 03 अगस्त तक शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के साथ प्रत्यक्ष/दूर संचार एवं अन्य माध्यमों से संवाद स्थापित किया जाय।

(2) प्रवेश प्रक्रिया : –

- सत्र 2020–21 के लिये स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रकिया दिनांक 15 सितम्बर, 2020 तक तथा स्नातकोतर प्रथम वर्ष में 31 अक्टूबर, 2020 तक सम्पन्न कर ली जाय।
- प्रवेश की सम्पूर्ण प्रकिया पूर्णतया ऑनलाइन सम्पादित की जाए।

(3) शैक्षणिक सत्र का प्रारम्भ : –

- स्नातकोत्तर/स्नातक के प्रथम वर्ष को छोडकर स्नातकोत्तर/स्नातक की ऑनलाइन कक्षाएं 04 अगस्त 2020 से प्रारम्भ होगीं। स्थितियां सामान्य होने की दशा में दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से कक्षाओं में प्रत्यक्ष पठन–पाठन कार्य प्रारंभ किये जायेंगे।
- नव प्रवेशित स्नातक छात्रों के सम्बन्ध में सत्र 2020–21 का शिक्षण कार्य स्थितियां सामान्य होने की दशा में दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से प्रारम्भ होगा।
- नव प्रवेशित स्नातकोत्तर छात्रों के सम्बन्ध में सत्र 2020–21 का शिक्षण कार्य स्थितियां सामान्य होने की दशा में दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से प्रारम्भ होगा।

Scanned by CamScanner

(4) पठन–पाठन कार्य :–

- पाठ्यक्रम के सापेक्ष प्रथम 45 दिनों (कम से कम) तक सिर्फ ऑन–लाइन कक्षाओं के माध्यम से पठन–पाठन सुनिश्चित किया जाये। उसके पश्चात् ऑन–लाइन के साथ–साथ सामान्तर रूप से, सम्बंधित पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या के दृष्टिगत, कक्षाओं में छात्रों के ग्रुप का रोटेशन बनाकर भौतिक दूरी रखते हुए छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक वर्ष के छात्र एक सप्ताह भर संस्थान में भौतिक रूप से उपस्थित हों और उनके 3–4 ग्रुप बनाकर अलग–अलग विषयों की कक्षाएं इस प्रकार आयोजित की जाएं कि concentrated capsule में उनकी पृच्छाओं/कठिनाइयों का समाधान किया जा सके। तत्पश्चात दूसरे वर्ष के छात्र दूसरे सप्ताह संस्थान में भौतिक रूप से उपस्थित हो।
- स्मार्ट क्लासरूम की सहायता से भौतिक रूप से संचालित कक्षाओं का विभिन्न 'ऑन–लाइन मीटिंग सॉफ्टवेयर' की सहायता से लाइव टेलीकास्ट सहयुक्त महाविद्यालयों में भी सुनिश्चित किया जाये।
- विमर्श, विश्लेषण तथा समस्या–समाधान हेतु कांटैक्ट–क्लासेस की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अक्टूबर–नवम्बर से आयोजित की जा सकती है। छात्र–शिक्षक के पारस्परिक सम्बन्ध और शैक्षणिक विमर्श के लिए भौतिक दूरी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था के दृष्टिगत इस प्रकार की कांटेक्ट–क्लासेज का आयोजन किया जाना उचित होगा ।
- संचालित पाठ्यक्रमों के प्रत्येक प्रश्नपत्र में ट्यूटोरिअल/असाइनमेंट्स/प्रोजेक्ट्स/ऑन लाइन कॉन्टेंट डिलीवरी/वीडियो क्लासेज/वर्चुअल लेबोरेटरी की व्यवस्था को समाहित करते हुए यदि आवश्यक हो तो सत्रारंभ से पूर्व पाठ्यक्रम समिति के माध्यम से पाठयक्रम संरचना में आवश्यक सुधार कर लिए जाएँ।
- प्रायोगिक कक्षाओं (Practical Classes) के लिए भी इस प्रकार व्यवस्था बनाई जाए कि यथासंभव Simulation Softwares और Virtual Labs से experiments सिखाए जाएं और जिन प्रयोगों के लिए छात्रों की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य हो, उन्हें उक्तानुसार एक–एक सप्ताह में सिखाया जाए।
- इस पूरी प्रकिया के लिए minute strategic planning की आवश्यकता होगी जो शिक्षकों द्वारा 13 जुलाई से 03 अगस्त, 2020 के मध्य सुनिश्चित की जाए।

(5) निरन्तर मूल्यांकन/सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा :–

- मिड–टर्म–परीक्षा/सेशनल--परीक्षा/ट्यूटोरिअल/असाइनमेंट्स/प्रोजेक्ट्स का पाठ्यकम में समावेश किये जाने की संस्तुति छात्र के शैक्षिक प्रदर्शन के सतत् मूल्यांकन की दृष्टि से की जा रही है। पाठ्यकम में सतत् मूल्यांकन की प्रकिया के समावेश से भविष्य में कोविड–19 जैसी आकस्मिक स्थिति में छात्र हित को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है।
- सभी पाठ्यक्रमों में सेशनल परीक्षा के साथ मिड–टर्म परीक्षा का भी प्रावधान किया जाये,

Scanned by CamScanner

जिसे सम्बन्धित विभाग अथवा सहयुक्त महाविद्यालय अपने स्तर से ऑन–लाइन/ ऑफ–लाइन माध्यम से सम्पन्न करायें और आवंटित अंकों को विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें।

- सम्बन्धित विभागों/सहयुक्त महाविद्यालयों द्वारा टयूटोरिअल/असाइनमेंट्स/प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन कर उसके अंकों को विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- मिड–टर्म–परीक्षा/सेशनल–परीक्षा/ट्यूटोरिअल/असाइनमेंट्स/प्रोजेक्ट्स के सापेक्ष अंको का वितरण सत्रारंभ से पूर्व पाठ्यक्रम समिति के माध्यम से निर्धारित कर लिया जाए। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अंकों का निर्धारण इस प्रकार किया जाये कि मिड–टर्म/सेशनल–परीक्षा/ट्यूटोरिअल/असाइनमेंट्स/प्रोजेक्ट्स के लिये सेमेस्टर/वार्षिक स्तर पर निर्धारित अंक पूर्णांक के सापेक्ष अधिकतम 50 प्रतिशत हों। मिड–टर्म–परीक्षा/ सेशनल–परीक्षा /ट्यूटोरिअल/असाइनमेंट्स/ प्रोजेक्ट्स में छात्र को सम्बंधित प्रश्नपत्र में प्राप्त कुल अंक का 25 से 50% अंक तक उस प्रश्न पत्र के वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के अंक में जोड़ कर परीक्षा परिणाम निर्मित किया जाये। वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के किन्हीं कारणों से न हो पाने की स्थिति में ये अंक प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं।

(6) शैक्षणिक कैलेण्डर :–

विश्वविद्यालयों द्वारा सत्र 2020–21 हेतु शैक्षणिक किया–कलापों के समयबद्ध संपादन के लिए समय–सारणी निम्नवत् प्रस्तावित हैं विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार ग्रीष्मकालीन/ शीतकालीन एवं अन्य अवकाशों में पर्याप्त कटौती करते हुए निम्नांकित समय सारणी के अनुसार अपना शैक्षणिक कैलेन्डर 20 जुलाई 2020 तक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें :–

1	ई–कन्टेन्ट की तैयारी प्रारम्भ	13 जुलाई 2020
2	प्रथम वर्ष को छोड़कर अन्य कक्षाओं में आनलाइन शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	04 अगस्त, 2020
3	प्रथम वर्ष में प्रवेश की अंतिम तिथि	15 सितम्बर, 2020
4	स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाओं में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	01 अक्टूबर, 2020
4	स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की कक्षाओं में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	01 नवम्बर, 2020
5	मिड–टर्म/बैक पेपर परीक्षा सम्पन्न कराये जाने की अंतिम तिथि	05 दिसम्बर, 2020
6	स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष विषम सेमेस्टर परीक्षा सम्पन्न कराये जाने की अंतिम तिथि	15 मार्च, 2021
7	स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने की समयावधि	01 मई से 15 जून, 2021
8	सम सेमेस्टर के लिये मिड–टर्म परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने की अंतिम तिथि	30 अप्रैल 2021
9	सम सेमेस्टर की परीक्षाओं को सम्पादित कराये जाने की अंतिम तिथि पी0जी0 प्रथम वर्ष	30 जून 2021
10	वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित किये जाने की अंतिम तिथि	15 जून 2021

Scanned by CamScanner

4– कोविड–19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित रहे एवं छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो, इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए सभी विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षित है कि विश्वविद्यालय उक्त मार्गदर्शी गाइडलाइन विकल्पों को ध्यान में रखते हुये अपनी परिनियमावलियों एवं अपने छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप अपने कार्य परिषद्/सक्षम प्राधिकारी के स्तर से सम्यक् विचार कर निर्णय लें। कोविड–19 के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

कृपया उक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव

संख्या– 1029 (1)/सत्तर–1–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) गृह (गोपन) अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री/राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
(5) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner